

कार्यालय आदेश सं.-56/2016

महाप्रबन्धक (कार्मिक) गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं. 146, पृष्ठांकन सं.- का/210/10- 2/ जेएजी (1)गोरखपुर दिनांक - 31.05.2016 द्वारा डॉ अजीत कुमार गोछायत, वमचिधि(एसजी)/देवरिया/वाराणसी मण्डल पूर्वोत्तर रेलवे, चिकित्सालय, वाराणसी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर ईस्ट कोस्ट रेलवे किया गया है, को तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है।

उपरोक्त पर मरेप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मण्डल कार्मिक अधिकारी
वाराणसी
दिनांक 17.06.2016


सं. का/191/राज/चि./पीसी/डॉ.ए.के.गोछायत

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव,स्थापना/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली ।
2. सचिव, महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
3. वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
4. महाप्रबंधक(कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
5. महाप्रबंधक/मुकाधि/विसमुलेधि/मुचिनि/ईस्ट कोस्ट रेलवे/भुवनेश्वर ।
6. विसमुलेधि/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
7. उप मुकाधि(राज.)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मंडल चिकित्सालय/वाराणसी
9. चिकित्सा निदेशक, कैंसर संस्थान/वाराणसी।
10. मरेप्र/अमरेप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
11. वमविप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
12. वमकाधि/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
13. सभी शाखाधिकारी/वाराणसी मण्डल।
14. मंडल मंत्री/नरमू एवं अजा-अजजा एसो.।
15. सम्बन्धित अधिकारी।

अतिरिक्त प्रति लिपि-

मुचिनि/मुख्य स्वास्थ्य निदेशक/गोरखपुर।


कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
वाराणसी